FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बापतु मुकाम

गंगाराम बनाम खरथाराम वगैरह

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन नं. 22 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/2/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भासिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 R.T.Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25/2/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बापतु	
25/02/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील अदम तामील प्राप्त/मौजूद पीठासीन अधिकारी दिगर कार्य में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 11/03/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
11/03/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण संख्या 2 से 15 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त तथा विप्रार्थी संख्या-1 के नोटिस पर फोत होना लिखा गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी वकील द्वारा विप्रार्थी संख्या-1 की फोतगी सूचना व कायम मुकाम रेकर्ड पर लेने मय संशोधित दावा पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या-1 के कायम मुकाम की ओर से वकील श्री नरपत सिंह द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या-1 के कायम मुकाम के वकील जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं जिनकी जवाब … (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बापतु	[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:29:41 IST
Reason: SelfAttested

किया जाता है। शेष विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 30/03/2020 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO) चायतु

30/03/2020 पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोर्ट नहीं किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसाल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 10/06/2020 को पेश हो।

10/06/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित।

प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढ आये हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगणो के खेतो के बीच जो पुरानी माढे व कच्चे आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियो की वजह से बिखर गये है। इसलिए प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान नही हो पा रहा है। प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान कराने के लिए अपने खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज [illegible] दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:29:41 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/आवेदन/2020/ 358

दिनांकः–10.06.2020

राजस्व आवेदन संख्या –22/2020

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

श्री गंगाराम पुत्र उदाराम
जाति–भील, निवासी–रूगोणी
मेगवालों की ढ़ाणी, बायतु
भीमजी तहसील–बायतु,
जिला–बाड़मेर

श्री खरथाराम पुत्र उदाराम के कायम
मुकाम वगैरा 15, जाति–भील,
निवासी–रूगोणी मेगवालों की ढ़ाणी,
बायतु भीमजी तहसील–बायतु,
जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा रूगोणी मेगवालों की ढ़ाणी, बायतु भीमजी पटवार हल्का बायतु भीमजी तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 726, 862/727 रकबा क्रमशः 0.0243, 1.0922 हैक्टर व मौजा बनिया धोरा पटवार हल्का बायतु भीमजी के खेत खसरा नम्बर 51 रकबा 1.7960 हैक्टर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/आवेदन/2020/

दिनांकः–

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, बायतु भीमजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री गंगाराम पुत्र उदाराम।
4. विप्रार्थीगण श्री खरथाराम पुत्र उदाराम के कायम मुकाम वगैरा 15।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 18:29:41 IST
Reason: SelfAttested